

पत्रावली पेश। काधिकमां वादी अनुपस्थित।

काधिकमां वादी को उपस्थित हेतु

न्यायालय समक्ष में रुक रुक कर

आवाजे लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित

नहीं आया वादी काधिकमां द्वारा न्यायालय

के आदेश की पालना भी नहीं की जा रही है

नतः पत्रावली आम पैरवी, अदम हाजरी एवं

अदम पालना में खारिज की जाती है। पत्रावली

फैसल शुमार छेउर दाखिल दफ्तर ये २१